

कार्यालय जिलाधिकारी, (खनन अनुभाग) शामली

संख्या-8014 / ख0वि0 / विज्ञप्ति-सा0बालू / 2026-27,

दिनांक 27-08-2026

ई-निविदा आमन्त्रण हेतु सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद शामली में नदी तल स्थित निजी भूमि में उपलब्ध निम्न विवरण के अनुसार साधारण बालू के खनन क्षेत्रों को उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 के नियम 23 के उपनियम (2) (ड.) के प्राविधानों के अन्तर्गत उपलब्ध घोषित करते हुए शासनादेश सं0-2026/86-2019-57(सा)/2017, दिनांक 30 अगस्त 2019 में दिये गये निर्देशानुसार उक्त नियमावली के अध्याय 4 के प्राविधानों के अन्तर्गत 06 माह की अवधि के लिए ई-टेंडर के माध्यम से खनन परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है तथा दिनांक 05.10.2026 समय सुबह 10:00 बजे से दिनांक 13.10.2026 समय सायं 5:00 बजे तक क्षेत्रों के लिये ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

1-क्षेत्रों का विवरण :-

क्र0 सं0	भूस्वामी/ भूस्वामियों का नाम	तहसील / ग्राम	गाटा संख्या / खण्ड संख्या	क्षेत्र (हे0मे)	सीमाये / चौहद्दी	जियो क्वार्टिनेट			उपखनिज का नाम	खनन योग्य अनुमानित उपखनिज की मात्रा (घन मी0 मे)	साधारण बालू की प्रचलित दर रुपये में	न्यूनतम आरक्षित मूल्य रुपये में	आरक्षित मूल्य का 25% अर्नेस्ट मनी रु0 मे
						सीमा बिन्दु	अक्षांश	देशान्तर					
1	Area Code :- 1105990101												
	शुभम त्यागी पुत्र रघुराज त्यागी निवासी प्लेट नं0 83 आशीर्वाद अपार्टमेंट सेक्टर-12 द्वारका दक्षिणी दिल्ली हाल निवासी ग्राम मदी व गौरव मलिक पुत्र श्री रविन्द्र मलिक निवासी रामा अपार्टमेंट सेक्टर-11 द्वारका दक्षिणी दिल्ली हाल निवासी ग्राम मदी परगना व तहसील कैराना जिला शामली	तहसील कैराना / मदी अहतमाल साबिक	155, 151, 152, 156, 157 व 158	2.1905	उ0-गाटा सं0 150 व 159 द0-गाटा सं0 134 पू0-गाटा सं0 164 प0-गाटा सं0 137	A	29°21'55.38"N	77°08'06.08"E	सा0 बालू (श्रेणी -1)	39429	80/-	3154320	788580
						B	29°21'52.80"N	77°08'04.06"E					
						C	29°21'52.07"N	77°08'05.38"E					
						D	29°21'49.61"N	77°08'04.03"E					
						E	29°21'48.81"N	77°08'07.24"E					
						F	29°21'51.16"N	77°08'09.22"E					
						G	29°21'51.67"N	77°08'08.27"E					
						H	29°21'55.30"N	77°08'10.98"E					
						I	29°21'56.26"N	77°08'09.64"E					
						J	29°21'54.32"N	77°08'07.83"E					
2	Area Code :- 1105990102												
	भूल्लन पुत्र देस्सा नि0 ग्राम मदी नॉन अहतमाल तहसील कैराना जिला शामली	तहसील कैराना / मदी अहतमाल साबिक	174	1.01	उ0-गाटा सं0 150 व 159 द0-गाटा सं0 134 पू0-गाटा सं0 164 प0-गाटा सं0 137	A	29°21'53.43"N	77°08'21.18"E	सा0 बालू (श्रेणी -1)	18180	80/-	1454400	363600
						B	29°21'56.10"N	77°08'21.36"E					
						C	29°21'55.74"N	77°08'26.54"E					
						D	29°21'53.38"N	77°08'25.62"E					

- परिहार की अवधि में मानसून सत्र (जुलाई, अगस्त, सितम्बर) की अवधि सम्मिलित नहीं मानी जायेगी।
- कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भारतीय नागरिक हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई-निविदा संलग्न प्रारूप-2 पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बातें होगी :-
- क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो
- ख. विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक
- ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई-मेल एवं मोबाईल नं0 (पता के प्रमाण स्वरूप व्यक्ति के लिये आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र तथा फर्म/कम्पनी/निकाय के लिये उनका पंजीकरण का विवरण)

- घ. क्या आवेदक भूस्वामी है। (हाँ/नहीं)
- ङ उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिये निविदा प्रस्तुत की है। जिसमें निम्न हों—
भूस्वामी का नाम—
उपखनिज का नाम—
तहसील का नाम—
खनन क्षेत्र का नाम/ग्राम—
गाटा संख्या/खण्ड संख्या/जोन संख्या—
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)—
विज्ञप्ति में दी गयी खनन योग्य अनुमानित उपखनिज की मात्रा—
- च. ई-निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अप्रतिदेय आवेदन शुल्क ₹ 15,000/- जमा का चालान।
- छ. प्री बिड अर्नेस्ट मनी का ड्राफ्ट (जिसकी गणना क्षेत्र में आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा) विज्ञापित क्षेत्रों का अर्नेस्ट मनी क्रमशः अंकन 7,88,580/- व 3,63,600/- रुपये है।
- ज. खनिज के प्रति घन मी० के लिए दी जाने वाली दर ई-निविदा की दर—
(ई-निविदा की दर उस खनिज के लिए नियमावली-2021 (यथा संशोधित) के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नहीं होगी)।
- झ. जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी द्वारा जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र परन्तु जहाँ आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहाँ इस आशय का शपथ पत्र।
- ट. भूस्वामी को छोड़कर अन्य व्यक्ति/फर्म को उस जिले के जिलाधिकारी, जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र।
- ठ. भूस्वामी को छोड़कर अन्य व्यक्ति/फर्म को ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र या ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र के साथ बैंक प्रत्याभूति, जो ई-निविदा की धनराशि के 25 प्रतिशत से कम न हो।
4. बिन्दु संख्या-3 में उल्लिखित वांछित अभिलेखों तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई-टेंडर के साथ अपलोड किया जाना होगा।
5. यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या-3 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई-निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई-निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की मूल प्रति/प्रमाणित प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि दिनांक 13-10-2026 की सांय 05:00 बजे तक खनन अनुभाग कलेक्ट्रेट शामिली में जमा करना होगा।
6. ई-निविदा आमंत्रण की तिथि के अन्दर ई-टेंडर पोर्टल <http://etender.up.nic.in> पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई-निविदा अपलोड की जायेगी।
7. यू०पी० इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लि० लखनऊ को प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में ई-टेंडरिंग लागू किये जाने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी:-
- क) ई-टेंडरिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेंसी से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।
- ख) ई-टेंडरिंग पोर्टल पर विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा अपनी कम्पनी/फर्म का रजिस्ट्रेशन यू०पी० इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कराया जायेगा।
- ग) विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स ई-टेंडर पोर्टल पर प्रशिक्षण यू०पी० इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

8. निविदाकार द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन ई-टेंडरिंग पोर्टल पर करा लेने तथा डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने के उपरान्त अपनी निविदा ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जानी होगी:-
- i) सर्वप्रथम निविदाकार द्वारा ई-टेंडर पोर्टल पर लॉगिंग आईडी0 (Login ID) एवं पासवर्ड (Password) के द्वारा ई-टेंडर पोर्टल में प्रवेश किया जायेगा।
 - ii) तत्पश्चात निविदाकार द्वारा डिजिटल सिग्नेचर पर सत्यापन (Verification) ई-टेंडर पोर्टल पर किया जाना होगा।
 - iii) निविदाकार द्वारा सर्च एक्टिव टेंडर (Search Active Tender) पर क्लिक कर अपनी रुचि की निविदा का चयन कर उक्त निविदा पर प्रतिभाग (Participate) करने हेतु क्लिक करना होगा।
 - iv) निविदाकार द्वारा कम्प्यूटर स्क्रीन पर ही निविदा संबंधित सभी जानकारी को सीधे देखा जा सकता है अथवा उक्त निविदा को डाउनलोड कर उसके प्रिन्ट आउट द्वारा विवरण को पढ़ा जा सकता है।
 - v) निविदाकार द्वारा निविदा के समुचित अध्ययन किये जाने के उपरान्त अपनी निविदा का ई-टेंडर पर अपलोड करने के पूर्व प्रस्तर 3 में दिये गये विवरण के अनुसार विभिन्न अभिलेखों, दस्तावेजों की स्कैण्ड कापी कर पीडी0एफ फाइल बनायी जानी होगी
 - vi) ई-टेंडर डाक्यूमेंट्स की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी वांछित दस्तावेजों की पीडी0एफ0 फाइल तैयार हो जाने के पश्चात निविदाकार द्वारा "पे ऑफ लाईन" (Pay Offline) विकल्प पर क्लिक करने पर एग्रीमेंट (Agreement) आईकन के कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने पर निविदाकार द्वारा आई एग्री-सबमिट (I Agree Submit) पर क्लिक करना होगा।
 - vii) तत्पश्चात निविदाकार द्वारा प्रि बिड अर्नेस्ट मनी से संबंधित कालम में जमा धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, बैंक का नाम इत्यादि विवरण भरना होगा। भुगतान के विवरण की प्रविष्टियों भरने के बाद उसको Save कर लिया जायेगा।
 - viii) निविदाकार द्वारा अपनी निविदा को अपलोड करने हेतु कम्प्यूटर क्लिक करना होगा जिससे कि प्रि बिड अर्नेस्ट मनी को टेंडर के साथ जमा किये जाने से संबंधित कार्य पूर्ण माने जायेंगे।
 - ix) यदि निविदाकार को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा सबमिट की गई तकनीकी एवं वित्तीय बिड में कोई त्रुटि है अथवा उनके द्वारा पूर्व में जमा की गई निविदा/बिड्स में संशोधन करना वांछनीय है, तो माई बिड्स (My Bids) आईकन में क्लिक कर पुनः पूर्व प्रक्रिया को अपनाते हुए ई-निविदा रि-बिड सबमिशन (Rebid Submission) पर क्लिक कर पुनः सबमिट (Submit) कर सकते हैं। निविदाकार द्वारा यह कार्य टेंडर जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि और समय से पूर्व किया जा सकता है। अन्तिम बार प्रस्तुत की गई निविदा (Last Submit Bid) ही ई-टेंडर पोर्टल पर अनुमन्य होगी। पूर्व में प्रस्तुत की गई बिड्स अनुमन्य नहीं होगी।
9. ई-टेंडर साइट का उपयोग करने के लिए Pentium-IV अथवा उच्च विशिष्टियों युक्त कम्प्यूटर तथा ब्रॉड बैंड इण्टरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी। कम्प्यूटर लाइनेक्स, विण्डोज़ एक्सपी सर्विस पैक-3 या उच्च आपरेटिंग सिस्टम एण्टीवायरस तथा इण्टरनेट एक्सप्लोर वर्जन 7.0 या अधिक, के साथ होना चाहिए। इसके लिए इण्टरनेट केन्द्र की सेवायें ली जा सकती हैं।
10. जिला स्तर पर ई-टेंडरिंग से सम्बन्धित टेंडर्स अपलोड किये जाने, टेंडर्स खोले जाने इत्यादि कार्यों हेतु जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO-NIC) से सहायता ली जा सकती है तथा अन्य किसी जानकारी/स्पष्टीकरण/प्रशिक्षण हेतु यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 10, अशोक मार्ग, लखनऊ से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

11. भूस्वामी/भूस्वामियों द्वारा क्षेत्र की ई-निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पर उच्चतम बोली को संज्ञान में लेकर 07 (सात) कार्यदिवस के भीतर सम्बन्धित खनन क्षेत्र पर प्रादेशिक अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो प्रस्तुत करने का उसे/उन्हें एक अवसर प्राप्त होगा। ई-निविदा प्रक्रिया में भूस्वामी को भाग लेना आवश्यक नहीं है, परन्तु भूस्वामी/भूस्वामियों के पक्ष में खनन परिहार स्वीकृत होने की दशा में ई-निविदा के सम्बन्ध में बिन्दु सं0-03 में दी गयी समस्त शर्तों को पूर्ण करना आवश्यक होगा।
12. विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित अवधि 07 कार्य दिवस के पश्चात् प्राप्त ई निविदाओं को दिनांक 14-10-2026 को समय 12:30 बजे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गाठित समिति के सदस्यों द्वारा भू-स्वामी के प्रथम इनकार हेतु खोला जायेगा।
13. भूस्वामी द्वारा प्रथम इनकार के अधिकार का उपयोग नहीं करने पर उच्चतम बिडकर्ता के पक्ष में परिहार स्वीकृत किया जायेगा। उच्चतम बिड की धनराशि का 20 प्रतिशत (प्रत्येक घन मी0 हेतु) चयनित आवेदक द्वारा भू-स्वामी/स्वामियों को प्रतिकर के रूप में दिया जायेगा जो राज्य सरकार को संदेय धनराशि के अतिरिक्त होगी। भू-स्वामी/स्वामियों को देय ऐसी धनराशि प्रत्येक समय समय राज्य सरकार के भुगतान के साथ भूस्वामी के बचत खाता जो कि अनुसूचित बैंक में हो, में किया जाना अनिवार्य होगा।
14. ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज बालू आदि की मात्रा एवं खनन स्थल के लिए पहुँच मार्ग आदि के लिए मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई-निविदा में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
15. सफल निविदाकर्ता/भूस्वामी का चयन होने के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा खनन परिहार हेतु सहमति पत्र (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) जारी किया जायेगा। उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।
16. लेटर आफ इन्टेन्ट निर्गत होने के 03 कार्यदिवस में ई-निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत प्रतिभूति तथा 25 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप में, जिसमें अर्नेस्ट मनी की धनराशि समायोजित की जायेगी। सफल निविदाकार अथवा भूस्वामी द्वारा उक्त धनराशि जमा नहीं करने पर जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नहीं होगा। शेष 75 प्रतिशत धनराशि स्वीकृत परिहार अवधि के शेष अग्रिम माहों में समान प्रतिशत के रूप में परिहारधारक द्वारा भुगतान की जायेगी। यदि किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवश्यक न हो तो प्रतिभूति धनराशि परिहार अवधि की समाप्ति उपरान्त एक माह के अन्दर परिहारधारक को वापस कर दी जायेगी।
17. जिलाधिकारी को कोई कारण बताए बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।
18. खनन क्षेत्र अथवा अन्य किसी जानकारी के लिए संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।
19. जनपद शामली के सप्लीमेंट्री डी0एस0आर0 2025 का राज्य स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण लखनऊ द्वारा प्रदत्त अनुमोदन दिनांक 06-08-2026 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है।
20. सफल निविदाकार/भूस्वामी परिहार हेतु इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक-14.09.2006 के प्राविधानों अनुसार पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। सक्षम अधिकारी के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय खनन योग्य आंकलित मात्रा हेतु माइनिंग प्लान/स्कीम बताते हुये आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा। खनन योग्य उपखनिज की मात्रा का निर्धारण पुनः पूर्ति अध्ययन रिपोर्ट-2025 के आधार पर किया गया है।

21. यदि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में दी गयी खनिज निकासी की मात्रा क्षेत्र के लिये आंकलित खनन योग्य भण्डार से भिन्न होती है, तब पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में अंकित मात्रा ही परिहार अवधि के लिए क्षेत्र से खनिज की निकासी हेतु अधिकतम मात्रा होगी तथा उस मात्रा के आधार पर ई-निविदा में दी गई दर को गुणा कर वास्तविक देय धनराशि की गणना की जायेगी।
22. पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र तथा सी0टी0ओ0 प्राप्त होने के उपरान्त अनुबन्ध निष्पादन के पश्चात् ही खनन कार्य प्रारम्भ होगा।
23. परिहारधारक द्वारा मा0 न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश तथा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-2021 (यथा संशोधित) तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
24. अन्य नियम एवं शर्तें:- जो क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाय, का अनुपालन करना होगा।

I

(आलोक यादव)
जिलाधिकारी,
शामली।

पत्र संख्या:- /ख0वि0/विज्ञप्ति-सा0बालू/2026-27 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
- 3- आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
4. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म गाजियाबाद।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
6. निदेशक, सूचना उ0प्र0।
7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी, लखनऊ।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जनपद शामली।
9. समस्त उपजिलाधिकारी, जनपद शामली।

I

जिलाधिकारी,
शामली।

खनन परिहार हेतु ई-निविदा प्रपत्र

महत्वपूर्ण-किसी प्रकार के कंटिंग/ओवरराइटिंग पर ई-निविदा निरस्त की जा सकती है।

1.	विज्ञप्ति संख्या व दिनोंक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो	
2.	विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक	
3.	जिस क्षेत्र की निविदा दी जानी है, उसका विवरण क. भूस्वामी का नाम -- ख. उपखनिज का नाम-- ग. जनपद का नाम-- घ. तहसील का नाम-- ड.. खनन क्षेत्र का नाम/ ग्राम-- च. गाटा संख्या/ खण्ड संख्या/ जोन संख्या-- छ. क्षेत्रफल(हेक्टेयर में)-- ज. विज्ञप्ति में दी गयी खनन योग्य अनुमानित उपखनिज की मात्रा	
4.	विज्ञप्ति में परिहार की अवधि	
5.	क्या निविदाकार भूस्वामी है (हाँ/नहीं)	
6.	निविदाकार का नाम	
7.	निविदाकार के पिता का नाम (यदि लागू हो)	
8.	स्थायी पता	
9.	पत्राचार का पता	
10.	मोबाईल नम्बर	
11.	ई-मेल आईडी	
12.	पता का प्रमाण पत्र का नम्बर (पता का प्रमाण स्वरूप व्यक्ति के लिए आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र तथा फर्म/कम्पनी/निकाय के लिये उनका पंजीकरण का विवरण)	पहचान पत्र की स्कैन्ड कापी ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
13.	जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी द्वारा जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र परन्तु जहां आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहां इस आशय का शपथ पत्र।	प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की स्कैन्ड कापी ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी
14.	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र	चरित्र प्रमाण पत्र की स्कैन्ड कापी ई-टेंडर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

15.	प्री बिड अर्नेस्ट मनी का ड्राफ्ट (जिसकी गणना क्षेत्र में आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उपखनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा)	ड्राफ्ट धनराशि ——— बैंक का नाम व शाखा ——— ड्राफ्ट का नम्बर ——— ड्राफ्ट का दिनांक ——— बैंक ड्राफ्ट की स्कैन्ड कापी ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
16.	खनिज के प्रति घन मी० के लिये दी जाने वाली ई-निविदा की दर- (ई-निविदा की दर उस खनिज के लिये नियमावली-1963 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नहीं होगी।)	रु०-....प्रति घन मी० (अंको में) रु०-.....प्रति घन मी० (शब्दों में)

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सही व सत्य है। कोई सूचना छिपायी नहीं गयी है तथा मैं ई-निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

दिनांक:-

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम.....

Signature Not Verified

Digitally signed by SUDHAKAR SINGH
Date: 2026.09.01 15:32:38 IST
Location: Uttar Pradesh-UP

Scanned with OKEN Scanner



Scanned with OKEN Scanner